भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4878

23 जुलाई, 2019 के लिए प्रश्न

खाद्य वस्तुओं का विपथन

4878. श्री वी. के. श्रीकंदन:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कुछ राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की खाद्य वस्तुओं के बाजार में विपथित किए जाने की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार ने पीडीएस उत्पादों के इस विपथन की रोक सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्री दानवे रावसाहेब दादाराव)

(क) और (ख): सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्रीय सरकार और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकार की संयुक्त ज़िम्मेदारी के तहत प्रचालित की जाती है, जिसमें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के भीतर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन की प्रचालनात्मक ज़िम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार की होती है। खाद्यान्नों के लीकेज और अन्यत्र हस्तांतरण और खाद्यान्न वास्तविक लाभार्थियों तक न पहुंचने सहित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में अनियमितताओं के बारे में जब कभी सरकार को व्यक्तियों और संगठनों तथा प्रेस रिपोर्टों के माध्यम से शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो उन्हें जांच और समुचित कार्रवाई हेतु संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार को भिजवा दिया जाता है। पिछले वर्ष 2018 के दौरान विभाग में कुल 941 शिकायतें प्राप्त हुई थीं और उन पर संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा आवश्यक कार्रवाई हेतु उन्हें भिजवा दिया गया था।

खाद्यान्नों के लीकेज और अन्यत्र हस्तांतरण, परिवारों को सूची में शामिल करने/बाहर करने संबंधी त्रुटियों, जाली और बोगस राशन कार्डों जैसी चुनौतियों का समाधान करने की दृष्टि से सरकार "लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के प्रचालनों का एक सिरे से दूसरे सिरे तक कम्प्यूटरीकरण" संबंधी एक स्कीम कार्यान्वित कर रही है। इस स्कीम में राशन कार्डों/लाभार्थियों और अन्य डाटाबेस का डिजिटीकरण करना, ऑनलाइन आवंटन, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का कंप्यूटरीकरण करना, पारदर्शिता पोर्टल और शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना शामिल है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सभी राशन कार्डों/लाभार्थियों के डिजिटीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है और देश भर में स्थित कुल 5.34 लाख उचित दर दुकानों में से लगभग 77% उचित दर दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ई-पीओएस) उपकरण स्थापित कर दिये गए हैं।

*****